**बिहार सरकार**
**खान एवं भूतत्व विभाग**

**अधिसूचना**

**पटना, दिनांक–**17/06/26

सं0सं0–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–07/24–......................./एम0, श्री कौशल किशोर सिंह, सेवानिवृत्त, जंजीरवाहक, जिला खनन कार्यालय, जमुई के द्वितीय एवं तृतीय MACP नहीं दिए जाने पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-17436/2022 कौशल किशोर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–09.04.2024 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक 23.10.2024 का आहूत विभागीय स्क्रीनिंग बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक मे कार्यालय आदेश ज्ञापांक 4853 दिनांक 19.11.2024 द्वारा उन्हें द्वितीय एवं तृतीय MACP का लाभ दिया गया। श्री कौशल किशोर सिंह का द्वितीय एवं तृतीय MACP का लाभ नहीं मिलने पर विभाग में इस संबंध में भुगतान हेतु आवेदन विभाग से अनुरोध किये जाने तथा विभागीय निदेश का अनुपालन ससमय तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई के द्वारा नहीं किये जाने की स्थिति में श्री कौशल कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में MJC दायर किया गया। दायर अवमाननावाद के कारण विभाग को विपरीत स्थिति का सामना न करना पड़े, इस स्थिति में मो0 अखलाक हुसैन, सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन करते हुए उनसे विभागीय पत्रांक 3271 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा मो0 अखलाक हुसैन, सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई से बचाव अभिकथन/लिखित अभिकथन की माँग की गई। मो0 अखलाक हुसैन, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई द्वारा पत्रांक 998 दिनांक 30.06. 2025 से लिखित अभिकथन विभाग को समर्पित किया गया।

मो0 अखलाक हुसैन द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा की गई। विदित है कि विभागीय कार्यालय आदेश–सह–ज्ञापांक 4853 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अन्य कर्मियों के साथ श्री कौशल किशोर सिंह, सेवानिवृत्त परिचारी, जिला खनन कार्यालय, जमुई को द्वितीय एवं तृतीय MACP दिया गया। इस संबंध में इनके वेतन निर्धारण करते हुए अन्तर राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन जिला खनन कार्यालय, जमुई द्वारा ससमय नहीं किया गया, जिसके कारण विषयांकित मामले में वादी श्री कौशल किशोर सिंह द्वारा अवमाननावाद दायर किया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में मो0 अखलाक हुसैन, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई का कार्यालय प्रधान होने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेवारी थी, कि सेवानिवृत्त कर्मी का उपादान का भुगतान की कार्रवाई ससमय सम्पादित हो, जो मो0 अखलाक हुसैन, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई द्वारा नहीं कराया गया, जो उनके कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत मो0 अखलाक हुसैन, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई सम्प्रति उप निदेशक (अपने वेतनमान में), अंचल कार्यालय, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली,

2005 के नियम–19 में निहित प्रावधानों के आलोक में नियम–14(v) के तहत **"संचयी प्रभाव के बिना अर्थात असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक"** की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(भारत भूषण प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–07/24–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–07/24–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमुई/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–07/24–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, जमुई/मुजफ्फरपुर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–07/24–......................./एम0, पटना, दिनांक.......................

प्रतिलिपिः–मो0 अखलाक हुसैन, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, जमुई सम्प्रति उप निदेशक, अंचल कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–प्र0–I–अरा0स्था0(क्षे0वि0)–07/24–....3831..../एम0, पटना, दिनांक..17/06/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/राजपत्रित स्थापना (मु0)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/06/26

सरकार के अपर सचिव।

17.6.26